नम्बर व ता.
जो इस हुक्म
तामील में

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 02/2022

बउनवान

घीसीबाई पत्नि रामचंद्र जाति माली निवासी शिव वाटिका झालावाड़ रोड़ बारां जिला बारां

(अपीलांटा)

बनाम

1. चेतन कुमार पुत्र रामचंद्र जाति माली निवासी शिव वाटिका झालावाड़ रोड़, बारां जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 840 दिनांक 28.09.2021 न्यायालय तहसीलीदार बारां के प्रकरण संख्या 255/21 चेतन बनाम घींसीबाई
कार्यवाही अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम न्यायालय 1956 के आधार पर खोला

जिला कलेक्टर बारां (राज.)

उपस्थिति :— 1. श्री महेश प्रकाश गौत्तम एडवोकेट (अपीलांटा)
2. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 08.02.2023

अपीलांटा की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. द्वारा ग्राम आमापुरा की आराजी खसरा नंबर 331 रकबा 0.33 है. हिस्सा 1/2 गुलाबबाई पत्नि मूलचंद के नाम दर्ज की मृत्यु हो जाने से अपने नाम मुताबिक नोटेरी वसीयत दिनांक 25.11.2003 अपने नाम दर्ज करवाने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर बाद जांच निर्णय प्रदान कर उक्त आराजी हिस्सा 1/2 पर गुलाबबाई के स्थान पर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये। अधीनस्थ न्यायालय ने भू राजस्व अधिनियम की धारा–133, 134, 135, 135(2) के अंतर्गत प्रकिया अनुसार जांच नहीं की। अपीलार्थिया द्वारा दिनांक 20.01.2021 को फोती इंतकाल प्रार्थना पत्र पर पटवारी की जांच का आदेश देकर भी जांच नहीं करवाई एवं दिनांक 25.01.2021 को रेस्पो. कम 1 के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.07.2021 को पटवारी हल्का कलमण्डा की रिपोर्ट के कम 1 पर घींसीबाई (अपीलार्थिया) का एकमात्र पुत्री होना, कम 2 पर आराजी का पैतृक होना, कम 3 पर भूमि पर शिव वाटिका निर्मित होना, कम 4 पर प्रकरण विचाराधीन होना दर्ज होते हुए भी घोर उपेक्षा करते हुए आदेश पारित कर फर्जी इंतकाल खोलकर नाम खाते दर्ज कर त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट कम 2 ने मूल वसीयत नहीं देखी। वसीयत में लिखने का दिनांक, स्थान का अंकन नहीं है, सादा कागज पर टिकट लगा स्टाम्प का रूप दिया गया है। स्टाम्प दिनांक 07.01.2003 अर्थात नोटेरी तिथि से लगभग 11 माह पूर्व खरीदना बताया है, जिस पर कई स्थानों पर अंगूठे लगे हैं, ऐसी परिस्थितियां वसीयत को संदेहपूर्ण प्रमाणित करती हैं। वसीयत को 25.11.2003 की मनमाने तरीके से होना मानकर इंतकाल खोल त्रुटि की है।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:50 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मंडल अजमेर के प्रकरण संख्या निगरानी/एल.आर./2008/11792 पाखरसिंह बनाम किस्तूरीदेवी वगैरह निर्णय दिनांक 28.11.2019 में दिए गए निर्णय "अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर भूमि का नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता" आर.बी.जे. 2020 पेज 1 की अवहेलना करते हुए नामान्तकरण खोल कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदारों से जांच नहीं की तथा राजस्व रेकार्ड भी स्वंय के कार्यालय का नहीं देखा। उक्त आराजी गुलाबबाई को इंतकाल संख्या 390 से दिनांक 27.03.2006 को खातेदारी में प्राप्त हुई है। कथित वसीयत की दिनांक 25.11.2003 को गुलाबबाई खातेदार ही नहीं थी। उक्त वसीयत दिनांक 25.11.2003 पूर्ण रूप से फर्जी, कूटरचित है। वसीयत पर गुलाबबाई का अंगूठा भी नहीं है और गुलाबबाई की मृत्यु के 6 वर्ष पश्चात अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही का कोई नोटिस जारी नहीं किया, ना ही कोई बयान लिए। गवाह सत्यनारायण का बयान शपथ पत्र के रूप में लिया है तथा अपीलार्थी द्वारा अपनी मां गुलाबबाई की उक्त आराजी का इंतकाल खोलने का आवेदन दिनांक 20.01.2021 को प्रस्तुत करने पर भी उसको नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है। आराजी पुश्तैनी है जिसके बाबत वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट की उम्र प्रार्थना पत्र की दिनांक को 42 वर्ष शादीशुदा, बाल बच्चेदार है। 2003 में गोद जाना बताया है। उस समय उसकी आयु 24 वर्ष होती है। इस आयु का व्यक्ति हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत गोद जाने की योग्यता नहीं रखता। अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रमाणित प्रति वाद संख्या 22/21 श्यामकुमार बनाम घींसीबाई, चेतन प्रस्तुत की गई थी। इसके बावजूद किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं होना मानकर निर्णय पारित कर त्रुटि की है। उक्त निर्णय की आड़ में रेस्पोडेन्ट अपने नाम दर्ज आराजी को विक्रय करने पर आमादा है जबकि विभाजन का वाद न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम्र-1 में लंबित है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 840 तहसीलदार बारां दिनांक 28.09.2021 निरस्त फरमाते हुये, उक्त आराजी का इंतकाल अपीलांटा के नाम खोला जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांटा को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया। वसीयतकर्ता कथित वसीयत की दिनांक को विवादित आराजी की खातेदार ही नहीं थी। विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी थी जिसकी वसीयत करने का अधिकार वसीयतकर्ता को नहीं था। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपंजीकृत, फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मृतक गुलाबबाई के हिस्से की 1/2 आराजी का इंतकाल रेस्पोडेन्ट के नाम खोला जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी को विक्रय करने पर आमादा है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल नहीं खोला जा सकता। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांटा ने विधिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पृष्ठ 553, 2020 आरबीजे पृष्ठ 301 तथा 2020 आरबीजे पृष्ठ 1 पेश करते हये अपीलांटा की अपील स्वीकार किये जाने की अस्तदुआ की।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:50 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि विवादित सम्पत्ति बाबत वाद क्रमांक 22/21 श्यामलाल बनाम घीसीबाई वगैरह माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1, बारां में लम्बित है। जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 24/21 आदेश दिनांक 26.10.2021 से खारिज हो चुका है। जब तक उक्त वाद का निर्णय नहीं होता तब तक इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विधिक दृष्टांत आरएलड्ब्ल्यू 2010(2) आर जे पृष्ठ 1328 पेश करते हुए अपील अपीलांटा खारिज किये जाने का कथन किया।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांटा ने कथन किया कि माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1, बारां में लम्बित वाद क्रमांक 22/21 श्यामलाल बनाम घीसीबाई वगैरह में भाई ने सिर्फ बंटवारे का दावा किया है। इस वाद की सत्यापित प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी। उक्त वाद लम्बित होने से प्रकरण में कोई Relief नहीं मिल सकता। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण संख्या 20/2021 में इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बारां के प्रकरण संख्या 255/21 बउनवान चेतन बनाम घींसीबाई में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम निरस्त किया जाकर मृतक गुलाबबाई के समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर व उनके बयान दर्ज कर उन्हे जिरह का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये गये हैं।

तदनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम आमापुरा का नामान्तकरण संख्या 840 दिनांक 28.09.2021 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वसीयत की सत्यता बाबत जांच के परिणामस्वरूप पारित निर्णय के आधार पर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:50 IST
Reason: SelfAttested